राष्ट्रीय किसान नीति
2007

कृशि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

शरद पवार
SHARAD PAWAR

कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और
सार्वजनिक वितरण मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF AGRICULTURE
& CONSUMER AFFAIRS
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

प्रस्तावना

प्रो0 एम.एस. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अक्टूबर, 2006 में प्रस्तुत की। एनसीएफ ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट के साथ मुख्य सिफारिशों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय किसान नीति का मसौदा तैयार किया। एनसीएफ द्वारा तैयार किए गये मसौदे के आधार पर तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श करके भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 को मंजूरी दी।

इस नीति का प्राथमिक संकेन्द्रण समग्र रूप से परिभाषित 'किसान' है न कि मात्र कृषि। इस दृष्टि से यह नीति कृषि नीति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ, किसानों की निवल आय में सतत् रूप से सुधार के जरिये खेती की आर्थिक व्यवहार्यता को उन्नत बनाना है। उल्लेखनीय है कि इसमें उचित मूल्य नीति, जोखिम कम करने संबंधी उपायों इत्यादि के प्रावधानों के अलावा उत्पादकता, लाभप्रदता, संस्थागत समर्थन में वृद्धि और भूमि में सुधार, जल एवं सहायक सेवाओं में सुधार इत्यादि पर जोर दिया गया है।

29 मई, 2007 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 53 वीं बैठक केवल कृषि क्षेत्र के मुद्दों को उद्घाटित करने पर केन्द्रित थी। भारत सरकार ने हाल ही में कई पहल की हैं जैसे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि विपणन में सुधार, सहकारी ऋण ढांचे का पुनःसक्रियकरण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम) अनुमोदित की गई हैं ताकि कृषि में निवेश को बढ़ाया जा सके और उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। ये सभी पहल राष्ट्रीय किसान नीति में सुझाए गए उद्देश्य, दिशा निर्देश तथा उपायों के अनुरूप हैं।

मुझे विश्वास है कि यह नई नीति सरकार द्वारा पहले से ही चल रहे कार्यक्रमों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र के सकल विकास को त्वरित करने में सहायता करेगी और देश के लाखों किसानों के जीवन स्तर में सुधार लायेगी।

(शरद पवार)

11 सितम्बर, 2007
नई दिल्ली

विषय सूची

1	**नीति पुनर्निर्धारण की आवश्यकता**	1
2	**अभिनव पहल**	2
3	**नीति के प्रमुख लक्ष्य**	3
	किसान की परिभाषा	3
4	**किसानों के सशक्तिकरण के लिए परिसम्पत्ति सुधार**	4
	भूमि	4
	जल	4
	पशुधन	6
	मात्स्यिकी	6
	जैव–संसाधन	7
	पशु जेनेटिक संसाधन	8
5	**सहायक सेवाएं**	9
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	9
	कृषि जैव–सुरक्षा	10
	कृषि मौसम विज्ञान	11
	जलवायु परिवर्तन	11
	आदान और सेवाएं	11
	ऋण और बीमा	13
	सहकारी समितियाँ	14
	विस्तार, प्रशिक्षण और ज्ञान सम्पर्कता	14
	सामाजिक सुरक्षा	15
	कृषि मूल्य, विपणन और व्यापार	15
6	**किसानों की विशेष श्रेणियां**	17

	जनजातीय किसान	17
	चरवाहे	18
	अन्य श्रेणियां	18
	बागान किसान	18
	द्वीपसमूह किसान	18
	शहरी किसान	19
7	**खेती की विशेष श्रेणियां**	19
	आर्गेनिक खेती	19
	हरित कृषि	19
	जैनेटिकली संशोधित (जीएम) फसलें	19
	संरक्षित (ग्रीनहाऊस) खेती	20
8	**विशेष क्षेत्र**	20
	कठिनाई ग्रस्त क्षेत्र	20
	वृहद जैव–विविधता वाले क्षेत्र	20
9	Hkkoh fdlku	20
10	**युवाओं को आकर्षित करना**	22
11	**अन्य नीतिगत उपाय**	22
12	**नीति की प्रचालनात्मकता**	23

1 नीति पुनर्निर्धारण की आवश्यकता

1.1 भारत के सामाजिक–आर्थिक ढांचे में कृषि की महत्ता को इस तथ्य से महसूस किया जा सकता है कि देश कि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 18 प्रतिशत है जबकि 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम है। इससे यह भी पता चलता है कि कृषि क्षेत्र और गैर–कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय के बीच बड़ी असमानता है। अतः उन मसलों का समाधान करना आवश्यक है, जो किसानों के आय स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। आय का स्तर कुल उत्पादन तथा उचित उत्पादकता स्तर और किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। लघु और सीमान्त जोतों का आधिक्य जो कुल जोतों का लगभग 82 प्रतिशत है, अपूर्ण बाजार दशाएं तथा पश्च और अग्र सम्पर्कों की कमी जैसी बाधाएं भी किसानों के आय स्तरों को दुष्प्रभावित करती हैं। तदनुसार, कृषि कार्यकलाप अधिक व्यवहार्य बने और किसानों की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार सुनिश्चित हो, इसके लिये एक उपयुक्त नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

1.2 विगत में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को मजबूत बनाने के साथ ही बीज, खाद और बिजली जैसे जरूरी आगतों की सामयिक और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये। इसके अतिरिक्त, अनेक बड़ी और लघु सिंचाई परियोजनाएं भी कार्यान्वित की गई। 1960 के दशक के प्रारंभ में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विकास के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम आरंभ किया गया था। हमारे वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार वाली किस्मों/फसलों की संकर प्रजातियां विकसित करने में योगदान दिया। किसानों को उनसे अवगत कराया गया और उन्होंने भी नए बीजों और प्रौद्योगिकी को अपनाया। फलस्वरूप, छठे दशक के अंतिम वर्षों में गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन में काफी प्रगति हुई। इसके अलावा नई रणनीति ने अधिक फसल सघनता पर बल दिया। तभी से, कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि बनी रही और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि के स्तर से ऊपर रही। जिसके फलस्चरूप खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की स्थिति बनी और इसे 'हरित क्रांति युग' के रूप में जाना गया। प्रौद्योगिकी, सेवाओं, सरकारी नीति के बीच तालमेल और किसानों की उद्यमशीलता इस युग की विशेषता थी। तथापि, पिछले दशक के दौरान उत्पादन और उत्पादकता लगभग स्थिर बनी रही और विकास की दर भी धीमी हो गई। इस गिरावट को रोकने के लिए और कृषि क्षेत्र को फिर से आगे की ओर बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

1.3 वर्ष 2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति अनुमोदित की गई थी जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग और अन्य उपायों के माध्यम से एक दीर्घावधिक आधार पर कृषि में 4 प्रतिशत अधिक वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना था। तथापि, दसवीं योजना (2002–03 से 2006–07) के दौरान प्राप्त वार्षिक वृद्धि दर औसतन केवल 2.3 प्रतिशत के आसपास ही रही। दूसरी ओर गैर–कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढ़ा। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस वृद्धि को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नीति में एक प्रमुख अभिनवता आवश्यक है। गैर–कृषि क्षेत्र की तीव्र वृद्धि के समक्ष कृषि क्षेत्र की प्रगति में आई गिरावट और कृषि में घटती लाभकारिता मुख्य चिंता की बात है। घटती हुई लाभकारिता आंशिक रूप से कृषि जिंसों को विश्व मूल्यों के उतार–चढ़ाव और

उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए घरेलू मूल्यों को कम रखने के प्रयासों के कारण है जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र की व्यापार शर्तों में गिरावट आई। यह ठहराव फसल की घटती हुई उत्पादकता के साथ जुड़ा हुआ था फलस्वरूप किसानों की आय का स्तर कम रहा।

1.4 सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष कर कृषि परिवारों में रोजगार अवसरों की कमी भी एक अन्य प्रमुख समस्या है। सिंचाई, पनधारा विकास, बंजर भूमि विकास, भूमि सुधार इत्यादि में निवेश बढ़ा कर कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तथापि ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास तथा कस्बों/बाजार केन्द्रों के आस–पास बस्तियों के विकास के लिए भी अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाना है। एक उदीयमान कृषि सेक्टर, बेहतर आधारभूत ढांचा, ग्रामीण संपर्कता, और कुशल विकास, पर्याप्त विद्युत, ऋण की आसान उपलब्धता, ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र के विकास, और अधिक रोजगार अवसरों के सृजन में सहायता कर सकता है और ऐसा करने से किसान परिवारों की आय बढ़ेगी।

1.5 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के साथ–साथ किसानों के आर्थिक कल्याण पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उत्पादन और वृद्धि के अलावा कृषि नीति का एक प्रमुख निर्धारक सामाजिक–आर्थिक आयाम भी होना चाहिए। अतः इस नीति का उद्देश्य, उन प्रवृत्तियों और कार्यों को प्रेरित करना है जिसके फलस्वरूप कृषि प्रगति का आकलन करने में किसान परिवारों की आय में सुधार हो, न केवल उनकी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि उनकी कृषि से संबद्ध कार्यकलापों में निवेश के लिए क्षमता को बढ़ाने के लिये।

2 अभिनव पहल

2.1 सरकार ने कृषि उत्पादन में गिरती हुई प्रवृत्ति को रोकने और किसानों की सक्षम आजीविका और आय स्तर के स्थायी समाधान खोजने के लिए हाल के वर्षों में पहले ही अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। कुछेक महत्वपूर्ण नई पहल हैं:
(1) भारत निर्माण, (2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, (3)राष्ट्रीय बागवानी मिशन, (4) किसानों के लिए संस्थागत ऋण का विस्तार, (5) राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की स्थापना, (6) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना, (7) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना, (8) पनधारा विकास और लघु सिंचाई कार्यक्रम, (9) कृषि विपणन में सुधार और विपणन ढांचे का विकास, (10) सहकारिता क्षेत्र का पुनरूद्धार, (11)लघु किसान कृषि–व्यवसाय संघ द्वारा उद्यम पूंजी भागीदारी के जरिए कृषि–व्यवसाय विकास, (12) कृषि विस्तार सेवाओं के लिए सुधार और समर्थन, (13) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, (14) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, (15) कृषि क्षेत्र में राज्यों को और अधिक निवेश के लिए प्रेरित करने के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (16) एकीकृत खाद्य कानून, (17) भण्डारण विकास और नियमन के लिए विधायी रूपरेखा, (18) पौध किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण (पी पी वी एफ आर) अधिनियम, 2001, (19) राष्ट्रीय बांस मिशन और (20) ग्रामीण सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी) के माध्यम से ज्ञान संयोजकता तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल।

3 नीति के प्रमुख लक्ष्य

3.1 राष्ट्रीय किसान नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नांकित हैं:

1. किसान की निवल आय में व्यापक वृद्धि के लिए खेती की आर्थिक व्यवहारिता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना कि कृषि प्रगति उस आय को सुधारने में हुई प्रगति द्वारा मापी जाए।
2. भूमि, जल, जैव विविधता, तथा अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार में किसानों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना जो कि उत्पादकता और लाभकारिता में सतत वृद्धि एवं प्रमुख कृषि प्रणालियों को स्थायित्व के लिए आवश्यक है।
3. किसानों के लिए बीज, सिंचाई, विद्युत, मशीनरी, और उपकरणों, उर्वरकों तथा ऋण पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये समर्थन सेवाओं का विकास करना।
4. राष्ट्र के किसान परिवारों की आजीविका और आय, सुरक्षा तथा राष्ट्र के हित और व्यापार सुरक्षा के लिए, फसलों, कृषि में काम आने वाले पशुओं, मछली तथा वन वृक्षों की जैव सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना।
5. किसानों की आय बढ़ाने के लिये उचित मूल्य और व्यापार नीति तंत्र प्रदान करना।
6. किसानों के लिए उपयुक्त और समयबद्ध क्षति पूर्ति के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबन्धन के उपाय प्रदान करना।
7. भूमि सुधारों के अधूरे एजेंडा को पूरा करना तथा परिसम्पत्ति और जल–कृषि में व्यापक सुधार आरम्भ करना।
8. कृषि संबंधी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में मानवीय और लैंगिक आयामों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को स्थायित्व एवं निरंतरता देने के लिए स्पष्ट रूप से ध्यान देना।
10. ग्रामीण भारत में समुदाय–केन्द्रित भोजन, पानी और ऊर्जा के लिये सुरक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरूष के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
11. ऐसे उपाय आरम्भ करना जिनसे खेती को बौद्धिक रूप से प्रेरक और आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाकर उच्चतर मूल्य वर्धन के लिए कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करना जिससे युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने और उसमें बनाए रखने में मदद मिल सके।
12. सतत कृषि के लिए जरूरी आदानों के उत्पादन और आपूर्ति तथा जैव–प्रौद्योगिकी तथा सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों (आई.सी.टी.) के माध्यम से विकसित उत्पादों और प्रक्रियाओं में भारत को विश्व आउट सोर्सिंग (ठेके पर काम के लिये) का केन्द्र बनाना।
13. कृषि और गृह विज्ञान के प्रत्येक स्नातक को एक उद्यमी बनाने व कृषि शिक्षा को लिंग संवेदी बनाने के लिए शिक्षा शास्त्रीय विधियों और कृषि पाठ्य–क्रम की पुनर्संरचना करना।
14. किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करके लागू करना।
15. किसान परिवारों के लिए गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए समुचित उपाय करके उपयुक्त अवसर प्रदान करना।

3.2 किसान की परिभाषा

इस नीति के प्रयोजन के लिए ''किसान' शब्द के अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो फसल उगाने तथा अन्य प्राथमिक कृषि उत्पाद पैदा करने के लिए आर्थिक/अथवा जीवनयापन संबंधी गतिविधियों में सक्रियता से संलग्न हैं, और इसमें सभी कृषि प्रचालन जोतधारी कृषक, कृषि श्रमिक, कटाईदार, काश्तकार, मुर्गीपालक तथा पशुपालक, मछुआरे, मधुमक्खीपालक,

माली, चरवाहे, गैर सामूहिक पौध रोपण करने वाले तथा पौधे रोपण करने वाले श्रमिक तथा विभिन्न कृषि–संबंधित व्यवसायों जैसे रेशमपालन, कृमिपालन और कृषि–वानिकी से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे। इस शब्द के अंतर्गत जनजातीय परिवार/झूम खेती से जुड़े व्यक्ति और गौण तथा गैर–इमारती वन–उत्पाद के संग्रहण व उपयोग तथा बिक्री में संलग्न व्यक्ति भी शामिल होंगे।

4 किसानों के सशक्तिकरण के लिए परिसम्पत्ति सुधार

4.1 परिसम्पत्ति सुधार का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि गांवों में हर किसान के पास उत्पादक परिसम्पति जैसे कि भूमि, पशुधन, मत्स्य तालाब, घरेलू फार्म हो या उसकी पहुंच में हों अथवा किसी उद्यम अथवा बाजार प्रेरित दक्षता के जरिए आय जिससे कि उसकी पारिवारिक आय एक दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त रूप से बढ़े। इससे उनकी पोषाहार और जीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत सुनिश्चित होगी।

4.2 भूमि

4.2.1 भूमि के असमान स्वामित्व पर विचार करते हुए, यह आवश्यक है कि भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को सक्षम रूप से लागू किया जाए जिसमें काश्तकारी कानूनों, भूमि को पट्टे पर देने, अधिकतम सीमा से अधिशेष भूमि और परती भूमि का वितरण, साझा सम्पति और परती भूमि संसाधनों की पर्याप्त सुलभता की व्यवस्था करने पर ध्यान देने और जोतों की चकबंदी की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम (2005) के अंतर्गत महिलाओं को भू–अधिकार प्रदान किए जाने के बाद महिला कृषकों के लिए उपयुक्त सहायक सेवाएं प्रदान करना एक आवश्यक कार्य हो गया है। मकानों और खेती की भूमि दोनों के संबंध में संयुक्त पट्टा अनिवार्य हो जिससे ऋण और अन्य सेवाएं प्राप्त करने हेतु महिलाओं की पहुंच बन सके।

4.2.2 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की, विशेष रूप से हर्जाने की गणना करने के लिए, समीक्षा की जायेगी। उत्तम कृषि भूमि को कृषि के लिए अवश्य संरक्षित किया जाना चाहिए सिवाय विशेष परिस्थितियों के, बशर्ते वे एजेन्सियां, जिन्हें गैर–कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि प्रदान की जाती है, अन्यत्र समकक्ष/निम्नीकृत बंजर भूमि के उपचार और पूर्ण विकास करते हुए क्षतिपूर्ति करें। इसके अतिरिक्त, केन्द्र/राज्य सरकारों की मौजूदा पुनर्वास नीति के तहत वचनबद्धता पूरी ईमानदारी से पूरी करनी होगी। गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए, यथा संभव कृषि के लिए निम्न जैविक क्षमता वाली कोई भूमि आवांटित की जाएगी। राज्य सरकारों को अकृष्य भूमि, क्षारीयता, अम्लीयता इत्यादि से प्रभावित भूमि जैसी निम्न जैविक क्षमता वाली भूमि को ही औद्योगिक और निर्माण कार्य–कलापों सहित गैर–कृषि विकास कार्यकलापों के लिए चिन्हित करने की सलाह दी जाएगी।

4.3 जल

4.3.1 सिंचाई के लिए सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में जल की अनुपलब्धता वर्तमान में देश के अनेक भागों में खेती में उच्चतर उत्पादकता और स्थिरता दोनों प्राप्त करने में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अतः आश्वस्त सिंचाई समय की जरूरत है। यद्यपि, हमारे देश में कुल वर्षा संतोषजनक होती है, परन्तु इसका वितरण अत्यंत असमान है। अतः वर्षाजल संचयन तथा जल का कुशलतापूर्वक उपयोग महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाया गया है कि सिंचित परियोजनाओं में जल का कार्यकुशलता उपयोग के वर्तमान स्तर में 10 प्रतिशत वृद्धि से बड़े क्षेत्रों में

फसलों के लिये जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है। जल उपयोग की दक्षता, बीज, किस्म, पोषकों (मेक्रो और माइक्रो) और खेती के औजारों के बीच तालमेल करके भी बढ़ाई जा सकती है। जल की प्रति इकाई आय और पैदावार को अधिकतम बढ़ाने की विचारधारा को भी सभी फसल उत्पादन कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। जल प्रयोक्ता संस्थानों को उपलब्ध जल से अधिकतम लाभ लेने में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.3.2 यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए भू–जल पर निर्भर रहते हैं। यह संसाधन, जिसमें किसानों ने अपने परिश्रम से अर्जित बचतों का निवेश किया है, आज दिन–प्रतिदिन घटता जा रहा है और भू–जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसलिए, जल आपूर्ति की स्थिरता और चिरकालिकता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन और जलाशयों के पुनर्भरण को प्रथमिकता दी जाएगी। जल गुणवत्ता पर भी घ्यान दिया जाना आवश्यक है क्योंकि स्त्रोत पर अति उपयोग और उर्वरकों, कीटनाशक अपशिष्टों और विषाक्त रसायनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण अक्सर प्रदूषित होता जा रहा है।

4.3.3 पर्याप्तता और गुणवत्ता समस्याओं के समाधान के अलावा, जल वितरण में साम्यता सुनिश्चित की जाएगी। जल एक सार्वजनिक संसाधन है न कि निजी सम्पति। अतः जल तक पहुंच के लिए न्यायोचित और समानता तंत्र विकसित करने तथा जल संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने को प्राथमिकता देनी होगी। महिलाओं को, जल प्रयोक्ता के रूप में, पहुंच और प्रबंधन दोनों में एक भूमिका निभानी होगी।

4.3.4 जल उपलब्धता में वृद्धि और इसका समुचित उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे;

1. आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन और जलाशय पुनःभरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए एक साथ आवश्यक विधायी उपाय किए जाएंगे।
2. सभी मौजूदा कुओं तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा।
3. सुधरी सिंचाई प्रथाओं के जरिए, जिनमें छिड़काव व ड्रिप सिंचाई शामिल हैं, तथा पानी पंचायतों अथवा पानी प्रयोक्ता संगठन के जरिए मांग प्रबंधन पर प्राथमिकता आधार पर ध्यान दिया जायेगा।
4. एक जल साक्षरता अभियान शुरू किया जायेगा तथा भू–जल के सतत उपयोगार्थी आवश्यक नियम बनाये जायेंगे।
5. सतही जल भू जल संसाधनों का एकीकृत और समन्वित विकास तथा उनके संयुक्त उपयोग को परियोजना नियोजन के प्रारंभ से ही किया जाऐगा और इसे परियोजना कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग बनाया जायेगा।
6. जल दुर्लभ क्षेत्रों में, उच्च मूल्य तथा न्यून जल चाहने वाली फसलों जैसे कि दालें और तिलहन की खेती के लिए उपयोगी पद्धति पर बल दिया जायेगा।

4.3.5 राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तिलहन और दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशनों और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे–केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा की गई पहल के माध्यम से कार्यक्रम के बीच परस्पर तालमेल स्थापना की जायेगी ताकि जल उपयोग क्षमता और जल संरक्षण उपायों का संवर्धन किया जा सके।

4.3.6 सूखा संभावित प्रमाणित क्षेत्रों में एक सूखा कोड लागू किया जायेगा जिसमें प्रतिकूल मानसून के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए और अच्छे मौसम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए की जाने वाली

कार्रवाई का उल्लेख होगा। इसी प्रकार भारी बारिश की अधिकता वाले क्षेत्रों में एक बाढ़ कोड लागू किया जायेगा जिससे बाढ़ों के तत्काल बाद किसानों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए बाढ़–मुक्त मौसम को एक प्रमुख कृषि उत्पादन अवधि में बदलने में मदद मिलेगी। शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय ढांचे के सुदृढीकरण के साथ कभी–कभी होने वाली भारी बारिश का लाभ उठाने के लिए एक उत्तम मौसम कोड लागू किया जायेगा जो सतत पशुधन उत्पादन, पेय जल सुरक्षा और बालू रेत के टीलों को स्थिर बनाने के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण इस संबंध में तकनीकी तथा अन्य समर्थन प्रदान करेगा।

4.4 पशुधन

4.4.1 पशुधन, जिसमें कुक्कुट पालन शामिल है, आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक चौथाई का योगदान करता है। इन कार्यकलापों में महिलाएं अधिक संख्या में लगी हुई हैं। पशुधन का स्वामित्व कहीं अधिक समानतावादी है क्योंकि गरीब किसान के परिवारों के पास अधिकांशतः गोपशु, भैंस, भेड़ और बकरियां होती हैं। किसान परिवारों को पेश आने वाली बड़ी बाधाएं प्रजनन, चारे, स्वास्थ्य देख–रेख और उनके उत्पाद के लिए कीमतों की है। उपयुक्त रणनीति के जरिए इन मामलों का समाधान किए जाने की जरूरत है। पशुधन की उच्च उत्पादकता और समग्र कार्यकुशलता के जरिए पशुओं के मालिकों की आय बढ़ाने में पशु चिकित्सकों और कृषि विज्ञान स्नातकों द्वारा संचालित कृषि क्लिनिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके साथ ही, फसल–पशुधन की एकीकृत खेती प्रणालियों और आर्गेनिक खेती और बायो–उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा। पशुओं के बीमे की भी पुनर्संरचना किए जाने की जरूरत है और इसे सभी पशु स्वामियों के लिए सुलभ बनाया जायेगा।

4.4.2 कुक्कुट पालन के मामले में निम्नलिखित उपाय करने की जरूरत है:

1. प्रवेश के सभी बन्दरगाहों पर आयातित पक्षियों हेतु संगरोध (क्वारेंटाइन) और परीक्षण और टीकाकरण सुविधाएं स्थापित और सुदृढ़ की जाएगी क्योंकि ऐसे सुरक्षा उपाय कुक्कुट उद्योग को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए तथा जीवन और आजीविका के संरक्षण के लिए नितान्त जरूरी है।
2. बाजार में बेचे जाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व, आयातित कुक्कुट पालन टीकों की सुरक्षा और प्रभावोत्पादाकता के परीक्षण को अनिवार्य बनाया जायेगा जैसा कि मानव के टीकों के मामले में किया जाता है।
3. कुक्कुट पालन की पहचान एक कृषि कार्यकलाप के रूप में की जाएगी और सामूहिक अथवा लघु कुक्कुट पालन परिसंपत्तिधारकों को बढ़ावा दिए जाने के लिए बैकयार्ड के कुक्कुट किसानों को यथोचित सहायता उपलब्ध करायी जाऐगी।

4.5 मात्स्यिकी

4.5.1 तटीय एवं अंतदेर्शीय मात्स्यिकी दोनों से ही लाखों परिवारों को रोजगार और आजीविका मिलती है। वैज्ञानिक रूप से मत्स्य पालन, एकत्रण और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरणीय रूप से सतत आधार पर मछुआरा परिवारों की आय में सुधार करने के लिए पर्याप्त अवसर है। सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में सुनियोजित जल कृषि सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि भूमिहीन श्रमिक किसानों को जल–कृषि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण तालाब और अन्य जलाशय सुलभ कराए जा सकें।

4.5.2 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जिससे कि मात्स्यिकी और जल–कृषि से संबंधित प्रमुख

कार्यकलापों पर पूरा–पूरा ध्यान दिया जा सके और व्यावसायिक प्रबंधन किया जा सके। एनएफडीबी के लिए दिशानिर्देश सिद्धांत पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र, पुरूष महिला साम्यता, रोजगार सृजन और राज्य सरकारों को यह परामर्श दिए जाने के लिए होने चाहिए कि वे सार्वजनिक जलाशयों और तालाबों के युक्तिसंगत और समान आबंटन को आसान बनाए जिससे कि आधुनिक जल–कृषि की जा सके।

4.5.3 आधुनिक जल–कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और मूल्य–वर्द्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे।

1. मछुआरों के परिवारों और मछुआरों महिलाओं को मछली पकड़/कल्चर/उपभोग श्रृंखला के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण देने, स्वास्थ्यकर संभाल और अन्य पहलुओं के लिए गुणवत्ताप्रद जानकारी देने हेतु ''सभी के लिए मछली'' प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण केन्द्रों का बनाना।
2. मत्स्य अवतरण केन्द्रों की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए छोटे आकार के ड्रेजर का प्रावधान।
3. विकेन्द्रीकृत मछली पकड़ और पालन मात्स्यिकी क्षेत्र की सहायतार्थ केन्द्रीकृत सेवाएं।
4. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी, जिसमें सजावटी मछली और वायु–श्वसन मीन भी शामिल हैं के लिये तालाबों और जलाशयों में आवश्यक स्थान उपलब्ध कराना।
5. प्राकृतिक प्रवाल भित्ति (कोरल रीफ) की हानि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कृत्रिम प्रवाल भित्ति उपलब्ध कराना।
6. तटवर्ती समुदायों को बायोकवच का निर्माण करने के लिए भी समर्थ बनाया जाना चाहिए, जैसा कि मैनग्रोव्ज, केजुरीना, एलीकोर्निआ एट्रीप्लेक्स व अन्य होलोफाइटिक पौधे। इससे चक्रवाती तूफानों और सुनामी जैसे समुद्र जल भराव की स्थिति में, तटवर्ती मछुआरों व फार्म परिवारों का जीवन और आजीविकाएं सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

4.5.4 विशेषकर मात्स्यिकी सहित विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के लिए एक्सक्लूसीव आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) के प्रबंधन और आर्थिक इस्तेमाल के संबंध में एक गतिशील नीति तैयार की जाएगी और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीवी) की सहायता से इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

4.6 जैव संसाधन

4.6.1 जैव संसाधनों का संबंध वनस्पति और जीव जन्तुओं की प्रचुर सम्पदा से है, जिसमें मृदा, लघु वनस्पति और छोटे जीव–जन्तु सम्मिलित हैं, जो भूमि और जल के बाद किसानों के लिए उपलब्ध तीसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों का संरक्षण करने व इनमें वृद्धि करने के प्रयास किए जायेंगे और लाभ के एक समान बंटवारे के साथ उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। उपर्युक्त कुछेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दो प्रमुख विधान– पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम (पीपीवीएफआर), 2001 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 विद्यमान हैं। इन अधिनियमों के कार्यान्वियन को सुदृढ़ किया जाएगा और विस्तृत दिशानिर्देश इस प्रकार से विकसित किए जाएंगे जिससे कि कृषक और कृषक समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी जा सके। राष्ट्रीय जीन एवं जैवविविधता कोष का प्रयोग किसानों के योगदान को मान्यता देने और पारितोषिक देने तथा ऐसे समुदायों के अपने ही खेतों पर (आनफार्म) संरक्षण परंपराओं के पुनरूद्धार को समर्थन देने के लिए किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों के लिए पादप जीनोम उद्धारक समुदाय मान्यता पुरस्कार स्थापित करके एक शुरूआत पहले ही कर दी गई है।

4.6.2 जैव–संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए निम्नलिखित को प्रोत्साहित किया जाएगाः

1. जैव–विविधता रजिस्टरों के माध्यम से पारम्परिक जानकारी (ट्रेडिशनलन नॉलेज) का

प्रलेखन किया जाएगा जिसमें महिलाओं की सहभागिता ली जाएगी जो इसका काफी ज्ञान रखती हैं।

2. स्व–स्थाने फार्म संरक्षण परम्पराओं को पुनः सक्रिय करने के लिए जनताजीय और ग्रामीण लोगों की मदद करना।
3. भू–प्रजातियों की उत्पादकता सुधारने के लिए वैज्ञानिक और स्थानीय संरक्षकों को शामिल करते हुए सहभागी प्रजनन प्रकियाओं को प्रोत्साहित किया जाना।
4. सार्वजनिक संस्थाओं में कार्यरत जेनेटिक इंजीनियर सहभागी प्रजनन कार्यक्रमों में किसानों के साथ प्रजनन पूर्व भूमिका निभाने संबंधी कार्य करने अर्थात् महत्वपूर्ण जैविक तथा आर्थिक नस्लों के लिए नए आनुवांशिक मिश्रणों का विकास जो जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रतिरोधी हों ताकि आनुवांशिक कुशलता और अनुवांशिक विविधता का एक प्रभावी तरीके से समेकन किया जा सके।
5. जेनेटिक समरूपता से कीटों और रोगों के प्रति जेनेटिक भेद्यता में वृद्धि होती है। अतः प्रजनन पूर्व और सहभागी प्रजनन का एकीकरण किया जाएगा ताकि छोटे किसानों को कीट और रोग महामारी के जोखिमों से बचाव में मदद मिले।
6. कृषि जैव–विविधता वाले समृद्ध क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट तथा शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में जेनेटिक और विधिक जानकारी देने का कार्यक्रम शुरू करना।
7. जेनेटिक संसाधन संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए ग्रामीण स्कूलों और कालेजों में जीनोम क्लब स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
8. जनजातीय और ग्रामीण परिवारों को पीपीवीएफआर और जैव विविधता अधिनियमों के प्रावधानों को, उनकी हकदारी के संबंध में समझने में मदद करने हेतु विधिक ज्ञान और जानकारी प्रदान करना।
9. जीनक्षति रोकने की विधियों में कृषक और जनजातीय परिवारों का प्रशिक्षण।
10. तटवर्ती जैव–विविधता जिसमें प्रवाल भित्ति और समुद्री घास तल शामिल हैं, का संरक्षण और संरक्षण की पारम्परिक विधियों को समर्थन।
11. औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत उपयोगार्थ पश्चिमी घाटों, विंध्या और हिमालयी क्षेत्र में हर्बल बायोवैलीज को कायम रखना। ऐसी बायोवैलीज में किसानों की उद्यम पूंजी व अन्य सहयोग के जरिए मदद की जाएगी ताकि वे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मूल्यवान औषधीय पौधों का संरक्षण, चयन और बहुगुणन कर सकें।
12. खेत/किसान स्तर पर पादप जेनेटिक संसाधनों के बाह्य–स्थान और स्व–स्थाने संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में क्षमतावान पारम्परिक प्रजातियाँ समाप्ति के कगार पर हैं, वहाँ किसान स्तर पर जीन/बीज बैंक स्थापित किए जायेंगे। कुछ राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे ''बीज आदान–प्रदान कार्यक्रम'' में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पारम्परिक चावल जीन पूल नष्ट न हो जाए।
13. राष्ट्रीय पार्कों, बायोस्फेयर आरक्षित क्षेत्रों और जीन सैन्क्चुअरी के सहभागी प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

4.7 पशु जेनेटिक संसाधन

4.7.1 पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की एक पद्धति विकसित की जाएगी ताकि लोगों को जैव–विविधता अधिनियम के अन्तर्गत अपनी प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए समर्थ और प्रेरित किया जाए। ऐसे प्रयोजनों के लिए जैव–विविधता निधि का उपयोग किया जाएगा। पशुधन पालकों को अपने प्रजनन भण्डार और प्रजनन प्रथाओं के उपयोग और विकास को जारी रखने के अधिकारों को स्वीकार और उन्हें प्रोत्साहित किया

जायेगा। सरकार इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन पालकों के अंशदान को स्वीकार करेगी और तदनुसार अपनी नीतियों व विधिक रूपरेखाओं को अनुकूल बनाएगी जिससे कि उनका संरक्षण हो सके और पशु संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए बौद्धिक संपदा प्रणाली के उपयोग के प्रयासों को नाकाम किया जा सके।

4.7.2 जेनेटिक विविधता के संरक्षण और पशु पालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए, चरवाहा समुदायों के पशु अनुरक्षण और प्रजनन के बारे में देशज ज्ञान को प्रलेखबद्ध करने की जरूरत है। देशज पशुओं की नस्लों और प्रजातियों के समुदाय आधारित संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा, ऐसे ऊष्ण तथा शीत शुष्क क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां जेनेटिक विविधता तथा संबद्ध देशज रूप से सुविकसित हैं। पशु प्रजातियों के संबंध में स्थल पर ही संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य फार्मो का उपयोग किया जा सकता है। पशु जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चारागाहों को सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष जैव और आर्थिक विशेषताओं का प्रलेखन नए जीवविज्ञान और नई पोषाहार जरूरतों अथवा चर्म/चमड़े के गुणवत्ता जैसी अन्य आर्थिक नस्लों के संदर्भ में किया जाएगा। जर्म प्लाज्म की जांच करने के लिए रोग से सुरक्षा संबंधी सुविधाएं जुटाई जाएंगी और रोग सह्य किस्मों के चयन को बढ़ावा दिया जाएगा।

4.7.3 दूसरे देशों में भारतीय प्रजाति के गाय–भैंसों की माँग है। अतः पशु विज्ञान स्नातको, स्व–सहायता समूहों (एस एच जी) तथा प्रगतिशील पशु कृषकों को ऐसी प्रजाति के पशुओं के अनुरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सहायता दी जाएगी ताकि निर्यात के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। हालांकि समस्त जैव सामग्री का निर्यात, जिसमें पशु भी शामिल हैं, जैव विविधता अधिनियम के अनुबंधों के अनुसार किया जाएगा।

5 सहायक सेवाएं

5.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

5.1.1 फार्म प्रचालन और उत्पादन में हुए परिवर्तन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका हैं। वर्तमान में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी में आये ठहराव पर काबू पाने के लिए नई प्रौद्योगिकी जो भूमि और जल की प्रति यूनिट उत्पादकता बढ़ाने में मद्दगार हो सकती है, की आवश्यकता है। अग्रणी प्रौद्योगिकियां, जैसे कि जैव–प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, अंतरिक्ष अनुप्रयोग और नैनो–प्रौद्योगिकी, "सदैव–हरित क्रान्ति" प्रारम्भ करने के अवसर प्रदान करती हैं जो स्थायी रूप से उत्पादकता सुधारने में समर्थ हैं। नई प्रौद्योगिकियों की पहुंच में सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति (एनएआरएस) की छत्रछाया के तहत सामाजिक रूप से संगत कृषि अनुसंधान हेतु सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं और राष्ट्रीय ब्यूरो सम्मिलित हैं। गैर–सरकारी संस्थान (एनजीओ) तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को भी एनएआरएस में शामिल किया जाएगा। एनएआरएस का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं को प्रभावी रूप से हल किया जा सके।

5.1.2 अनुसंधान कार्यनीति प्रकृति के अनुकूल, होनी चाहिए लघु कृषकों और महिलाओं के हित में होनी चाहिए।

ऐसे समुदाय प्रबंधित बीज ग्रामों और बीज प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता है, जिनमें महिलाएं, विशेष रूप से जनजातीय समुदाय में बीज और बीज प्रबंधन के अपने पारंपरिक ज्ञान के कारण, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। वैज्ञानिक जानकारी और जैव–प्रौद्योगिकी व अन्य नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों और लाभों के बारे में भ्रम और आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पंचायत से चुने हुए किसानों को फार्म विज्ञान प्रबंधक के रूप में प्रशिक्षित किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है ताकि वे अपने–अपने गांवों में फार्म विज्ञान प्रबंधकों के रूप में कार्य कर सकें।

5.1.3 पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरी के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।

5.1.4 विभिन्न किस्म की फसलों की जरूरत के अनुसार पैदावार में वृद्धि की जाएगी जैसे कि संसाधित किए जाने की दृष्टि से अच्छी गुणवत्ता वाले फल और सब्जियाँ।

5.1.5 किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आर्गेनिक खेती में वैज्ञानिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय बहु–विषयक प्रयास किया जाएगा। फसल–पशुधन–मत्स्य एकीकृत उत्पादन पद्धतियों के अंतर्गत आर्गेनिक खेती के सिद्धांतों और विधियों को अपनाने की गुंजाइश है।

5.1.6 सघन एकल फसल वाले कृषि क्षेत्रों में पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र और रोजगार सृजन की दृष्टि से, फसल विविधीकरण लाभप्रद हो सकता है। तथापि, फसल विविधीकरण के संबंध में दिये जाने वाले किसी भी परामर्श के साथ–साथ ऐसे उपाय भी अवश्य बताए जाने चाहिए जिनसे वैकल्पिक फसलों के लिए प्रभावी बाजार सहायता सुनिश्चित की जा सके। फसल विविधीकरण के लिए योजना तैयार करते समय, विशेष रूप से खाद्य फसल से गैर–खाद्य फसल में जैसे– बायो–ईंधन के उत्पादन के संबंध में, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा।

5.1.7 बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) नियमों में, अनुसंधान उत्पादों और किसानों के लिए मूल्य की प्रक्रियाओं के मामलों में अधिकारों के अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के सभी मामलों में, सामाजिक समावेशन मार्गदर्शी कारक होगा।

5.1.8 प्रौद्योगिकी सेवाओं और सार्वजनिक नीतियों के उचित समेकन के जरिये सिंधु–गंगा के मैदानी भागों को प्रमुख खाद्यान्न उत्पादकता क्षेत्र में बदलने और हरित क्रान्ति के मूल क्षेत्र में संरक्षण कृषि को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.2 कृषि जैव–सुरक्षा

5.2.1 फसलों, वृक्षों और फार्म तथा जलीय जीवों की कृषि जैव–सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकांश आबादी के कार्य और आय सुरक्षा तथा राष्ट्र की खाद्य और व्यापार सुरक्षा से संबंधित है। फसलों, पशुपालन, मात्स्यिकी, वानिकी और कृषि अनुकूल सूक्ष्म जीवाणुओं को शामिल करते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों से एक समेकित राष्ट्रीय कृषि जैव–सुरक्षा पद्धति (एनएबीएस) स्थापित की जाएगीः–

1. प्रभावी और स्वीकृत निगरानी, सतर्कता, रोकथाम और फसलों, फार्म पशुओं, मछलियों और वन वृक्षों की उत्पादकता और सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए तैयार किये गए नियंत्रण के जरिए किसान परिवारों की आय और आजीविका सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र की भी खाद्य, स्वास्थ्य और व्यापार सुरक्षा को सुरक्षित करना।
2. मानीटरिंग, पूर्व चेतावनी, शिक्षा, अनुसंधान, नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में

सक्रिय उपाय लागू करने की राष्ट्रीय और स्थानीय क्षमता को बढ़ाना।

3. विनियामक उपायों, शिक्षा, उन्नत स्वच्छता और पादप–स्वच्छता उपायों को मिलाकर एक एकीकृत जैव–सुरक्षा पैकेज लागू करना।
4. देश के प्रमुख कृषि–पारिस्थितिकीय और कृषि पद्धति क्षेत्रों को कीटों, रोगजनकों और खरपतवार की आक्रामक विदेशी प्रजातियों और साथ ही आनुवंशिक रूप से आशोधित जीवियों (आर्गेनिक) (जीएमओ) के रिलीज होने से बचाव में समर्थ प्रभावी घरेलू और क्षेत्रीय संगरोध सुविधाओं के साथ और हब तथा स्पोक माडल पर एक समन्वित राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।

5.3 कृषि–मौसम विज्ञान

5.3.1 अल्प, मध्यावधि और दीर्घावधि मौसम के पूर्वानुमान में राष्ट्रीय क्षमता काफी अधिक है। महत्वपूर्ण बात सामान्य जानकारी को फसल पद्धतियों और जल की उपलब्धता पर आधारित स्थान विशिष्ट भू–उपयोग सलाह में बदलने की है। किसानों को कम से कम समय के अंतराल में समुचित भूमि उपयोग संबंधी सुझाव देने के लिए प्रशिक्षित पंचायत स्तर के कर्मियों द्वारा समय–समय पर जारी कृषि–मौसम विज्ञानीय सलाह का उपयोग किया जाएगा। समुद्री मात्स्यिकी के मामले में, लहरों की ऊंचाइयों और मत्स्य के झुड पाए जाने के स्थान के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों को मछुआरों को सम्प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट एफएम/एचएएम रेडियो/सैल फोन जैसी सेवा का प्रयोग मछुआरों के लिए बहुत सहायक होगा।

5.4 जलवायु परिवर्तन

5.4.1 तापमान, वर्षा और समुद्र स्तर में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण जलवायु में होने वाला परिवर्तन एक उभरता हुआ विषय है। ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि विश्व तापन का प्रभाव चिंताजनक है, जैसा कि हिमनदों और अन्टार्कटिका तथा आर्कटिक शिखरों के पिघलने से स्पष्ट है। तटवर्ती तूफानों और चक्रवातों की बारम्बारता तथा गहनता में भी वृद्धि हो रही है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सूखे और बाढ़ की प्रायः अधिक संभावना रहती है। यद्यपि जलवायु में परिवर्तन होने की वजह ऊर्जा के गैर–नवीकरणीय स्वरूपों की अत्यधिक खपत करना है किन्तु जलवायु परिवर्तन का हानिकारक प्रभाव गरीब देशों द्वारा अधिक महसूस किया जाएगा क्योंकि उनके संसाधन और क्षमता सीमित होते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएंगे। अनुकरणीय मॉडलों के आधार पर प्रत्येक प्रमुख कृषि–जलवायु क्षेत्र के संबंध में आकस्मिकता योजनाएं और भूमि तथा जल वैकल्पिक उपयोग की नीतियां तैयार की जायेंगी। सूखा और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अनुभवी किसानों को सूखे, बाढ़ और अनियमित मानसून के प्रबंधन की कला में "जलवायु प्रबंधकों" के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

5.5 आदान और सेवाएं

1. **बीजः** उत्तम कोटि के बीज और रोग मुक्त रोपण सामग्री जिसमें इन–विट्रो कल्चर्ड प्रोपेगुल्स शामिल हैं, फसल उत्पादकता और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अब बहुत सी फसलों में संकर प्रजातियां उपलब्ध होती जा रही है। नई उपजातियों के मामले में मूल (फाउंडेशन) बीज आधारभूत स्तर के बीज उत्पादकों और उनके समूहों जैसे सहकारी समितियां और एसएचजी को मुहैया कराए जाएंगे। परस्पर रूप से लाभप्रद कृषक बीज कंपनी में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों को बीज प्रौद्योगिकी और व्यापार तथा सभी व्यावहारिक पाठयक्रमों में

मुख्य व्यापार के सिद्धांतों पर पाठयक्रम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। एक राष्ट्रीय बीज ग्रिड स्थापित किया जाएगा जिससे संपूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट अपेक्षा के अनुसार बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

2. **मृदा स्वास्थ्यः** खेत की उत्पादकता को बढाने की कुंजी मृदा स्वास्थ्य में संवर्धन है। प्रत्येक किसान परिवार को एक मृदा स्वास्थ्य पासबुक सुनिश्चित तौर पर जारी की जाएगी , जिसमें तदनरूपी परामर्शो के साथ–साथ उनके खेतों की मिट्टी के संबंध में भैतिक, रसायन और माइक्रोबायोलाजी के बारे में समेकित जानकारी दी जाएंगी। इस प्रयोजन हेतु मिट्टी में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्व की कमियों का पता लगाने के लिए और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मिट्टी में फसल के अवशिष्टों को शामिल करके मृदा जैव (आर्गेनिक) पदार्थ में वृद्धि की जाएगी। बंजर भूमि के पुनरूद्धार तथा उसकी जैविकीय क्षमता सुधारने के संबंध में उचित तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक मूल्य निर्धारण नीतियों की पुनरीक्षा की जाएंगी। पोषक तत्व के कुशल चक्रण, नाइट्रोजन निर्धारण, जैविक सामग्री वर्धन और निकास प्रणाली में सुधार लाने के लिए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जाएगा। जैव उर्वरकों, जैविक खादों इत्यादि के लिए उचित उत्पादन और विपणन तंत्र व्यवस्थित किए जाएंगे ताकि मृदा स्वास्थ्य के सुधार/अनुरक्षण के लिए/उनके प्रयोग को बढ़ावा मिले।

3. **कीटनाशीः** कीटों, रोगजनकों और खरपतवार तीनों के कारण प्रत्येक वर्ष फसल की काफी हानि होती है। पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और कारगर कीटनाशकों के विकास, प्रयोग आरंभ और प्रसार को प्राथमिकता दी जाएगी। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) पद्धति में शामिल किए जाने की जरूरत है। उपयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा आकलन व अन्य विनियामक पद्धतियों को मजबूत किया जाएगा। नकली और घटिया स्तर के कीटनाशकों की बिक्री रोकी जाएगी और जैव कीटनाशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. **यंत्रः** किसानों को क्षेत्र और फसल विशिष्ट मशीनों और यंत्रों की जरूरत होती है ताकि वे सही समय पर फसल बोने और खरपतवार का प्रबंधन करने व फसलोत्तर कार्य में सुधार करने का काम कर सके। महिलाओं को विशेष रूप से अपने अनुकूल यंत्रों की जरूरत होती है जिनमें मेहनत कम लगे, उत्पादन बढ़े और समय बचे तथा उनका उपयोग सरलता से किया जा सके। कृषि स्नातक कृषि–उद्यमी और प्रगामी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि यंत्र, औजार, मशीनरी, ट्रैक्टर व अन्य बड़े फार्म यंत्र शुल्क–किराए के आधार पर उपलब्ध करायें।

5. **टीके तथा सीरम संबंधी निदानः** महत्वपूर्ण पशु रोगों के संबंध में इस समय उपलब्ध सुविधाओं में मुख्य कमियों को दूर करना होगा। सरकारी–निजी भागीदारियों को प्रोत्साहित करते हुए टीका विकास के क्षेत्र में जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान में तेजी लाये जाए जाने की जरूरत है।

6. **मत्स्य बीज और खाद्यः** उत्तम कोटि और रोग–मुक्त मत्स्य बीज सफल अंतर्देशीय मत्स्य पालन की कुंजी है। मत्स्य बीज प्रजनन उत्पादन में पगामी मछुआरों और उनके समूहों जैसे स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को प्रशिक्षित किया जाएगा और वहनीय कीमतों पर बीज और मत्स्य बीज खाद्य उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिये राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड और अन्य एजेंसियों से उचित तकनीकी सहायता प्राप्त की जाएगी।

7. **पशु के लिए चाराः** डेयरी पशुओं में अपर्याप्त पोषाहार ही दूध की कम पैदावार का प्रमुख कारण है। सेलुलोसिक अपशिष्टों को उपयुक्त उपचार और संवर्धन के जरिए उत्तम पशु खाद्य के रूप में बदलने, पोषण समृद्ध चारा पौधों के रोपण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक दोनों ही तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

8. **अन्य आवश्यक सहायक सेवाएंः** उच्च फार्म पशु उत्पादकता के लिए आवश्यक कुछ अन्य अनिवार्य सहायक सेवाएं अपेक्षित हैं यथा देशज प्रजातियों और संकर प्रजातियों के संबंध में जेनेटिक मूल्यांनकन पद्धतियाँ सुनिश्चित करना ताकि चयन के फलस्वरूप उत्पादन लक्षणों में जेनेटिक सुधार कृत्रिम गर्भाधान के जरिए प्रजाति का उन्नयनः, संकर प्रजनन, जो किसानों के संसाधनों के लिए उपयुक्त हो और उन्नत प्रसंस्करण व विपणन संभव हो। पशुधन क्षेत्र को स्वच्छता और पादप स्वच्छता के अनुकूल बनाना होगा। परा–पशु चिकित्सकों के एक सवंर्ग को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि किसानों के लिये सहायक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा सके जिनसे बीमारियों का शीघ्र पता लग सके और उनका इलाज करने तथा अन्य पशु चिकित्सा सेवाओं में मदद मिले।

9. **महिलाओं की अधिकारिता के लिए सहायक सेवाएः** क्षमता निर्माण और जीविका के लिए फार्मो पर काम करने वाली महिलाओं के लिए उचित सहायक सेवाओं जैसे शिशु गृह और बाल देख–रेख केन्द्रों, पोषण, स्वास्थ और प्रशिक्षण आदि की जरूरत है। ऐसे क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों मे वृद्धि और इस्तेमाल किया जाएगा और यदि अपेक्षित हुआ तो नई स्कीमें शुरू की जाएगी।

5.6 ऋण और बीमा

5.6.1 ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की कार्यकुशलता और पहुंच (आउटरीच) में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिये किसानों को उचित ब्याज दर पर वित्तीय सेवाएं सही समय पर, पर्याप्त मात्रा में और सरलता से पहुंचनी चाहिए। बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कृषि के स्तर को ऊंचा उठाने, ग्रामीण और कृषि–व्यवसाय उद्यमों और रोजगार के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित बड़ी ऋण क्षमता का पता लगाने और वित्तीय व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

5.6.2 किसानों को बेहतर संस्थागत ऋण दिलाने के लिए भारत सरकार की एक कृषि ऋण नीति है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों के व्यापक कवरेज के लिए उपाय किये जायेंगे। उत्पादन को प्रोत्साहन देने और ऋण जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में माइको ऋण और माइको बीमा को बढ़ावा दिया जायेगा। ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में ऋण सहकारिताओं का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका है और सहकारी ऋण संस्थाओं में सुधार के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों पर अमल करने को प्राथमिकता दी जाएगी। ऋण संबंधी परामर्श देने के केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जहां गंभीर रूप से ऋणग्रस्त किसानों को ऋण के चंगुल से बचाने के लिए ऋण राहत पैकेज/ पुनःनिधारण की व्यवस्था की जा सकती है। कृषि और ग्रामीण ऋण के अग्रणी के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण की उपलब्धता और किसानों व अन्य ग्रामीण उधारकर्ताओं की ऋण खपत क्षमता के बीच अभिसरण और एक दक्ष ऋण प्रदाय पद्धति सुनिश्चित करनी चाहिए। नाबार्ड को संस्थान निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अनुसंधान व विकास संबंधी प्रयासों के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। नाबार्ड को किसानों के लिए राष्ट्रीय बैंक के रूप में कार्य करना चाहिए।

5.6.3 चूंकि कृषि अत्यधिक जोखिम वाला एक आर्थिक कार्यकलाप है अतः किसानों को उपभेक्ता–अनुकूल बीमा साधनों की जरूरत है जिनके अंतर्गत उत्पादन, अर्थात बुवाई से लेकर फसलोत्तर कामकाज को शामिल किया जाए। बीमें में किसानों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए सभी फसलों के संबंध में मंडी जोखिम शामिल किया जाए और इस प्रकार कृषि को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जाए। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम को किसानों के लिये और अधिक अनुकूल बनाने हेतु इसमें सुधार लाने के प्रयास किए जायेंगे।

5.6.4 गांवों में ऋण और बीमा दोनों प्रकार की जानकारी की जरूरत है। इस काम में ज्ञान चौपाल (गांव ज्ञान केन्द्र) सहायक हो सकते हैं। किसानों में बीमा और ऋण संबंधी जागरूकता लाने को बढ़ावा दिया जायेगा।

5.6.5 महिलाओं पर उनकी भू–हकदारी/समर्थन के अभाव के कारण ऋण प्राप्ति के मामले में विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। महिलाओं को घर/कृषि भूमि के संयुक्त पट्टे के साथ तेजी से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाऐंगे। संयुक्त पट्टे से रहित मामलों में महिला किसानों को ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंकों द्वारा उनके पति और संबंधियों से इन्डैमिनिटी बांड गारंटियों को स्वीकार किया जाएगा।

5.7 सहकारी समितियां

5.7.1 बैंकिंग, आदान आपूर्ति, विपणन, कृषि–प्रसंस्करण और अन्य कृषि–व्यवसायों में, सहकारी समितियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे किसानों को आदानों की आपूर्ति, उत्पादन, मूल्यवर्धन और विपणन में विद्यमान विसंगतियों से बचाया जा सकता है। सहकारी समितियों को आर्थिक उद्यमों के रूप में कार्य करना चाहिए न कि राज्य के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें उद्यमशील दृष्टिकोण, उपयुक्त उद्यम केन्द्रण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा स्थिति प्राप्त करनी चाहिये और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के साथ नीतिगत संबंध बनाना चाहिये। उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए जिनके जरिए किसान बाजार माध्यमों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकें तथा सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिए लाभ के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

5.7.2 आर्थिक उदारीकरण और बाजार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को देखते हुए, सहकारी समितियों को कहीं अधिक पूंजीगत व अन्य वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। कानूनी ढांचे और विनियामक पद्धति में परिवर्तनों से पूंजीगत/वित्तीय संसाधनं प्राप्त करने में मद्द मिलेगी। नीतिगत और कानूनी ढांचे की समीक्षा करनी होगी जिसके अंतर्गत सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिससे कि विधि की व्यवस्था के अनुसार वे अपने कामकाज व्यवसायिक ढंग से चलाने और स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए समर्थनकारी परिवेश का सृजन कर सकें। सहकारी समितियों के प्रबंधन को व्यवसायी रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है जिसमें चुने गए सदस्यों और प्रबंधको के कार्य का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए। लेखा परीक्षा तथा लेखा पद्धतियों में भी सुधार किया जाएगा और उसे पारदर्शी बनाया जाएगा जिससे कि सहकारी समितियों के सभी सदस्यों को अधिक विश्वास दिलाया जा सके।

5.8 विस्तार, प्रशिक्षण और ज्ञान संपर्कता

5.8.1 वैज्ञानिक जानकारी और फील्ड स्तरीय कार्य के बीच अंतर हाल के वर्षो में काफी अधिक हो गया है। ज्ञान के इस अभाव को तेजी से दूर किया जाएगा जिससे फार्म उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। कृषि विज्ञान केन्द्र फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, कृषि प्रसंस्करण व प्राथमिक उत्पादों के मूल्यवर्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे व प्रयोगशाला से खेत तक प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे ताकि गांवों में दक्ष नौकरियां प्रदान की जा सकें। विस्तार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी तथा इसके

लिये विद्यमान विस्तार कार्मिकों के पुनः प्रशिक्षण व उन औजारों से पुनः सज्जित करने के अलावा, उत्कृष्ट/प्रगतिशील किसानों के खेतों में फार्म स्कूलों की स्थापना करके किसान से किसान तक जानकारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ फार्म स्कूलों के सम्पर्क से फसल और पशुपालन, मत्स्यकी और कृषि वानिकी के प्रौद्योगिकीय उन्नयन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। आधुनिक कृषि प्रणालियों की मदद से किसानों, संसाधकों, खुदरा विक्रेताओं और अन्य पणधारियों को साथ–साथ लाने के प्रयास किये जाऐंगे। विशेषरूप से जिला स्तर पर और उसके नीचे विस्तार प्रयासों का समेकन सुनिश्चित किया जाएगा।

5.8.2 गांवों में नये ज्ञान चौपाल स्थापित करके आई सी टी की क्षमता का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सेवा केन्द्र और राज्य सरकारों तथा निजी पहल कार्यक्रमों द्वारा स्थापित केन्द्रों का समावेश विस्तृत और व्यापक विकास के लिये किया जाएगा। आई सी टी आधारित ज्ञान पद्धति की संरचना में इस प्रकार अन्य के साथ–साथ ऐसे ग्राम केन्द्रों की स्थापना शामिल होगी। अन्तिम मील और अन्तिम व्यक्ति तक संयोज्यता को ब्राडबैन्ड इंटरनेट, सामुदायिक रेडियो अथवा इंटरनेट–मोबाइल फोन तालमेल के जरिए पूरा किया जाएगा।

5.8.3 छोटे एवं सीमान्त जोत क्षेत्रों की कार्यकुशलता और व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए किसानों को सही समय और स्थान से ही सूचना देकर अधिक सम्पर्क करना जरूरी है। जन संचार साधनों, विशेष रूप से रेडियो, दूरदर्शन और स्थानीय भाषा के समाचार–पत्रों की इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

5.9 सामाजिक सुरक्षा

आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को, एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत शामिल करना जरूरी है। अतः सरकार एक उचित सामाजिक सुरक्षा स्कीम लागू करने के लिये आवश्यक उपाय करेगी।

5.10 कृषि मूल्य, विपणन और व्यापार

5.10.1 कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में आश्वस्त और लाभप्रद विपणन अवसर प्रदान करना सतत प्रगति का मुख्य पहलू है। पहले से ही केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बाजार सुधार किए गए हैं। इन सुधारों से किसानों को अपना उत्पाद बेचने, सहकारिताओं सहित निजी क्षेत्र के बाजार विकसित करने के लिये छूट देने, उपभोक्ताओं, संसाधकों, खुदरा पूर्तिकर्त्ताओं/निर्यातकों को सीधे ही बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित करने और भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को दूर करने के लिए और अधिक अवसर मुहैया कराने के अधिक विकल्प प्राप्त होते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जाएगेः–

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) पद्धति को देशभर में अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।
2. बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एम आई एस) को आकस्मिकताओं की स्थिति में, विशेष रूप से वर्षापोषित क्षेत्रों में संवेदनशील फसलों के मामले में, शीघ्रता से अमल में लाने के लिए सुदृढ किया जाएगा।
3. सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे अल्प प्रयुक्त फसलों के विपणन में मदद मिलेगी और इस प्रकार कृषि जैव विविधता के संरक्षण में आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के नेटवर्क के जरिए पोषक मिलेट्स जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी व अन्य फसलों को भंडारण करने व बेचने के जरिए खाद्य सुरक्षा समूह (बास्केट) का विस्तार किया जायेगा।

5. आन्तरिक प्रतिबंधों में छूट देकर एकल राष्ट्रीय बाजार का विकास करने के प्रयास किए जायेंगे। किसानों की आय में वृद्धि में बाधक सभी नियंत्रणों और विनियमों की समीक्षा की जायेगी और उन्हें हटाया जाएगा।
6. सार्वजनिक–निजी सहभागिता पद्धति में कृषि के लिये टर्मिनल मंडियों का विकास किया जायेगा। गुणवत्ता और मांग के अनुकूल उत्पादन के लिए अपेक्षित तकनीकी समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए चले आ रहे पुराने संपर्को को कायम रखना और पारदर्शी व्यापार परिवेश में बेहतर मूल्य वसूलने के लिए किसानों का बाजार तक पहुंच बनाए रखना।
7. कृषि उत्पाद बाजार समितियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों के कार्यों को मात्र नियमन कार्यों से रूपांतरित किया जाएगा ताकि स्थानीय उत्पादों के लिये ग्रेडिंग, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग तथा बाजारों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

5.10.2 किसानों को भू–उपयोग निर्णयों और निवेशों के संबंध में मौसमविज्ञान, विपणन और प्रबंधन सूचना के आधार पर सही सलाह की जरूरत रहती है। फसलोपरांत हानियों को कम करने तथा ग्राम स्तर पर ही रोजगार और आय बढ़ाने के लिए कृषि संसाधन और मूल्यवर्धन के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। किसानों के संगठनों व सहकारिताओं तथा लघु कृषक सम्पदाओं जैसी अन्य इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनके साथ उचित बर्ताव हो और उन्हें अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो सके। फसल संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उत्पादक समूहों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। भाण्डागार प्राप्तियों की परक्राम्यता में सुधार के लिए बाधाओं को भी दूर किया जायेगा।

5.10.3 कृषि में व्यापार नीतियों का उद्देश्य कृषक परिवारों की जीविका की सुरक्षा करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए किसानों की प्रभावी जीविका सुरक्षा प्रणाली लागू की जायेगी। समूचे देश में गुणवत्ता एवं व्यापार साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएगें। मूल्य जोखिम कम करने और स्टेक होल्डरों, विशेष रूप से किसानों को अपने आपको जोखिम से बचाने के लिए उचित उपाय किए जाएगे।

5.10.4 विदेश कृषि व्यापार और मूल्य वर्धन के लिये उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करके प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों पर निर्यात करने के लिए किसान एसोसिएशनों और एस एच जी की मदद की जाएगी। कृषि–निर्यात क्षेत्रों को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि ऐसे क्षेत्र बन सकें जहां किसानों को अपने उत्पाद के लिए यथासम्भव सर्वाधिक कीमत प्राप्त होगी।

5.10.5 किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद कीमतों से और उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों के लिए उचित और वहनीय कीमतों के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने के दोहरे लक्ष्य को (चूंकि किसान भी उपभोक्ता हैं) निम्नलिखित समेकित कार्यनीति के माध्यम से प्राप्त किया जाएगाः

1. एम एस पी संबंधी निर्णय लेते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों के उत्पादों के लिए उन्हें लाभप्रद मूल्य प्राप्त करवाने के मामले में उनके हितों की पर्याप्त सुरक्षा की गई है।
2. वर्षासिंचित क्षेत्रों में एम एस पी के प्रभावी क्रियान्वयन सहित स्थायी एवं कुशल प्रभावी विपणन परिवेश से बारानी खेती में उत्पादकता और आय में सुधार होगा।

5.10.6 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के विचारार्थ विषयों और स्थिति की समीक्षा की जायेगी ताकि एम एस पी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

5.11 प्रसंस्करण एवं मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन

5.11.1 यह सुस्थापित तथ्य है कि कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन करने से किसानों की आय के स्तरों में वृद्धि होती है। अतः उनके उत्पादन को प्रसंस्करण तथा अन्य मूल्य श्रृंखला क्रियाकलापों के साथ समेकित करना आवश्यक है। तथापि, देश में कटाई पश्चात अवसरंचना पूरी तरह से अपर्याप्त है जिसकी वजह से अत्यधिक अक्षमता और अपशिष्ट उत्पन्न होता है। फसल के प्रकृति और जलवायु की दशाओं पर निर्भर करते हुए अनुचित रख रखाव तथा परिवहन हानियों के कारण भण्डारण, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा विपणन की विभिन्न स्थितियों में फसलोंपरान्त हानियों का प्रतिशत अत्यधिक परिवर्तनशील है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों को उनके उत्पादों के लिए मूल्य वर्धन करके किसानों को मण्डी से जोड़कर फसलोपरान्त प्रबंधन में सुधार लाकरके तथा मांग संचालित फार्मिंग को बढ़ावा देकर दीर्घकालीन आर्थिक सततता प्रदान करने में सक्षम है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलापों को आधुनिक बनाने की भी आवश्यकता है। अतः इस प्रक्रिया को कारगर बनाने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए प्रभावी उपाय किए जायेगें।

5.12 पाठ्यक्रम में सुधार

5.12.1 **कृषि/पशु विज्ञान विश्वविद्यालयः** "प्रत्येक छात्र एक उद्यमी" इन विश्वविद्यालयों का लक्ष्य होगा। इसके लिए व्यवसाय प्रबंधन सिद्धान्तों को प्रमुख अनुप्रयुक्त पाठयक्रमों के साथ एकीकृत करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही कृषि/फार्म विश्वविद्यालयों को भी अपनी पाठयचर्या इस ढंग से पुनः तैयार करनी होगी कि खेती में महिलाओं और पुरूषों की सापेक्ष भूमिका को स्वीकारा जाए तथा उन्हें प्रौद्योगिकीय रूप से सशक्त बनाया जाए। पोषाहार, फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने के लिये पाठयचर्या में बदलाव की आवश्यकता है। फार्म विश्वविद्यालयों में खाद्य सुरक्षा के कोडेक्स एलिमेन्टरियस मानकों और स्वच्छता व पादप स्वच्छता सहित गुणवत्ता संबंधी क्षमता निर्माण उद्यमिता पर बल दिया जायेगा।

5.12.2 किसानों को गुणवत्ताप्रद सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि स्नातकों को पंजीकृत कृषि अभ्यासकर्ताओं के रूप में मान्यता प्रदान करके पंजीकरण करने के लिए आई सी ए आर के अधिदेश का विस्तार किया जायेगा। स्नातकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) और भारतीय प्रबन्धन संस्थानों (आई आई एम) की तरह कृषि उत्कृष्टता केन्द्र (फसल और पशुपालन, मात्स्यिकी और वानिकी) स्थापित किए जायेंगे। आई सी टी द्वारा प्रस्तुत नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए देश के छात्रों के बीच एक अध्ययन क्रांति प्रोत्साहित करने के लिए नई शिक्षाशास्त्रीय पद्धति लागू की जायेगी। विश्वविद्यालय केन्द्रों में रोजगार और व्यवसाय परामर्श केन्द्र तथा स्व–रोजगार अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष एकीकृत सेवा व्यवस्था कायम की जाएगी।

6 किसानों की विशेष श्रेणियां

6.1 जनजातीय किसान

किसानों की श्रेणी में जनजातीय किसान सर्वाधिक खराब स्थिति में हैं। देशभर में अधिकांश जनजातीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए वनों और पशुपालन पर निर्भर हैं। इनमें खेती करना (बहुत से भागों में झूम खेती), ईंधन, चारा और अनेक प्रकार के गैर इमारती वन उत्पाद एकत्र करना शामिल हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित क्रियाकलाप किये जायेंगेः–

1. जनजातीय किसानों की आबादी वाले क्षेत्रों में भू–अभिलेखों को अद्यतन बनाना।
2. निर्णय की प्रक्रिया में और अधिक सहभागिता के लिये संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाना।
3. सभी जनजातीय किसानों के लिये संस्थागत ऋण की आसानी से प्राप्ति और उनके लिये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का उचित प्रावधान
4. ऐसी फसलों के संरक्षण के आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना और जनजातीय किसानों की पारम्परिक फसलों और जानकारी का प्रलेखन करना।
5. उचित प्रौद्योगिकी तथा विस्तार सेवाओं का प्रावधान और जनजातीय क्षेत्रों के लिये जल, उर्वरक, बीज आदि जैसे आदान उपलब्ध कराने संबंधी मानदण्डों में छूट देना।

6.2 चरवाहे

चरवाहों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जायेंगेः–

1. वन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें ग्रामीण सामूहिक भूमियों पर चारागाह प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया गया है, में पारम्परिक चारागाह अधिकार और रहने के अधिकारों की बहाली।
2. देशज पशु प्रजातियों वाले पारम्परिक चरवाहों/पशुपालाकों तथा उन व्यक्तियों की हकदारी के औपचारीकरण की व्यवस्था (स्थायी चारागाह कार्ड जारी करने सहित) जिससे कि अधिसूचित अथवा सीमांकित चारागाह स्थलों और प्रवास मार्गों के लिए उनकी मुक्त सुलभता सुनिश्चित हो सके।
3. पशुधन के लिए चारागाह और पेय जल स्त्रोंतों को संरक्षित किया जायेगा और यथासंभव व्यवहार्यता को बढ़ाया जायेगा।
4. पशुधन/प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने वाले स्थानीय समुदायों/व्यक्तियों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करने के लिए देशज पशुधन प्रजातियों का सम्पूर्ण तथा सही प्रलेखन, श्रेणीकरण किया जाएगा।
5. चरवाहों को सभी स्थानीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। जिसमें ग्राम, वन समितियां और संयुक्त वन प्रबंधन शामिल हैं।

6.3 अन्य श्रेणियां

6.3.1 उपर्युक्त दो श्रेणियों के अलावा, अलग–अलग और विशेष जरूरतों वाले अनेक छोटे समूह हैं, जैसे कि छोटे बागान किसान, द्वीप समूह किसान, शहरी किसान तथा जैविक–किसान।

6.3.2 बागान किसान

बड़ी संख्या में छोटे किसान चाय, काफी, रबड, इलायची, कालीमिर्च और वनिला जैसी बागान फसलों के रोपण की खेती में लगे हुए हैं। कीमत में उतार–चढ़ाव तथा विदेश से आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कुछेक उन बड़ी समस्याओं में शामिल हैं जो उन्हे पेश आ रही हैं। इसलिए उन्हें बाजार के उतार–चढ़ाव से बचाने के लिए बागान फसलों हेतु एक कीमत स्थिरीकरण निधि से मदद मिल सकती हैं।

6.3.3 द्वीपसमूह किसान

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष्यद्वीप द्वीप समूहों में और अन्य द्वीप समूहों में कृषि और मछुवारे परिवारों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उनकी जरूरतों में प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अवस्थापना और व्यापार के क्षेत्र शामिल हैं। द्वीपसमूह कृषि में परिवहन लागतों की भी समस्या है, विशेष रूप से मछली जैसी नश्वर वस्तुओं के संबंध में, जिन्हें मुख्य भूमि में बेचना होता है। अंडमान और निकोबार

द्वीपसमूहों में प्राचीन जनजातियाँ हैं जिनकी एक समृद्ध पारम्परिक जानकारी और ज्ञान हैं। जैवविधिता संरक्षण और परम्परागत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में उनके देशज ज्ञान को मान्यता प्रदान करने व पुरस्कृत करने के लिए उपाय किए जायंगे। यथा संभव, द्वीपसमूहों में बागवानी विकास कार्यक्रम लागू किए जायंगे। बढ़ती वैश्विक उष्मा के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने और सुनामी जैसी आपदाओं की स्थिति में द्वीपसमूहों में जीवन और आजीविकाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मेनग्रोव व गैर–मेनग्रोव आधारित बायोशील्डों के निर्माण जैसे उपाय किए जायंगे।

6.3.4 शहरी किसान

शहरी क्षेत्रों में, घरेलू उद्यानों और नर्सरियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पौष्टिक आहार संबंधी उद्यानों को समर्थन प्रदान किया जाएगा ताकि पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

7 खेती की विशेष श्रेणियां

7.1 आर्गेनिक खेती

भारत में आर्गेनिक खेती अभियान को, अनुसंधान, विस्तार और विपणन के क्षेत्रों में संस्था से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है और इसके लिए रासायनिक खेती की अपेक्षा वैज्ञानिक सहायता की अधिक जरूरत है। कृषि विज्ञान केन्द्रों को आर्गेनिक खेती में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार किया जाएगा। किसान–अनुकूल व समर्थ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रमाणन प्रक्रियाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। आर्गेनिक खेती क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा जैसे कि कुछ पर्वतीय क्षेत्र और द्वीपसमूह जहां रासायनिक खाद का उपयोग कम है तथा औषधीय पौधों के लिए जहां रासायनिक कीटनाशकों और खाद के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती। आर्गेनिक खेती चुनिंदा वर्षा प्रधान क्षेत्रों में अपेक्षित सहायता के साथ जिनमें विपणन शामिल है, प्रोत्साहित की जाएंगी। इसे संविदा खेती के जरिये भी सहायता दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मापदंड कोडेक्स एलिमेन्टेरियस मानकों के अनुरूप होने चाहिए क्योंकि कभी–कभी आर्गेनिक खाद में भारी घातु विद्यमान रहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आर्गेनिक खेती के कार्य में लगे किसानों को महत्वपूर्ण बाजारों से जोड़ा जाना चाहिए जहां उन्हें प्रीमियम कीमत प्राप्त होगी। आर्गेनिक खेती के लिए कृषि–क्लिनिक व कृषि–व्यवसाय केन्द्र स्थापित करने के लिए उन्नतशील किसानों और कृषि स्नातकों को समर्थन प्रदान किया जायेगा। जैव उर्वरकों और जैविक खाद, जैव कीटनाशकों को समर्थन और संवर्घन के लिए रासायनिक उर्वरकों के समान ही महत्व दिया जाएगा।

7.2 हरित कृषि

हरित कृषि, जिसमें एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक पूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल है, को "सदा हरित क्रान्ति" की ओर अग्रसर माना गया है। आर्गेनिक खेती के विपरीत, हरित कृषि के अंतर्गत खनिज उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का सुरक्षित और न्यूनतम उपयोग व आनुवांशिक संशोधन द्वारा विकसित फसलों की प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। हरित कृषि उत्पादों को वर्गीकृत करके और प्रमाणपत्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा जैसा कि आर्गेनिक खेती के मामले में होता है।

7.3 जेनेटिकली संशोधित (जी एम) फसलें

जी एम फसलों से जुड़े जोखिमों और लाभों का एक विश्वसनीय व पारदर्शी ढंग से आकलन करने की

जरूरत है। आनुवाँशिकीय संशोधन में ऐसी जीनों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जाए जिनसे सूखे, लवणीयता व अन्य दवाबों के अवरोध में मदद मिल सके। जल उपयोग कार्यकुशलता और पोषणात्मक तथा प्रसंस्करण गुणवत्ता में सुधार को भी अनुसंधान कार्यसूची में प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। जी एम फसल प्रजातियों के संबंध में कृषीय प्रबंधन प्रकियाओं में प्रशिक्षण देना शुरू करना होगा एवं जागरूकता लानी होगी।

7.4 संरक्षित (ग्रीनहाउस) खेती

बागवानी में तीव्र प्रगति के साथ, पानी और खाद उपयोग, जैसे कि उर्वरण की मितव्ययी पद्धतियों सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से पोषक पदार्थो के उपयोग की सहायता से सब्जियों, फलों और फूलों की हरित गृह खेती के अवसर विद्यमान हैं। कृषि व्यवसाय कार्यक्रम तथा बागवानी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रीनहाउस गृह बागवानी करने के लिए कृषि तथा गृह विज्ञान स्नातकों और अन्य उद्यमियों को सहायता प्रदान की जायेगी। लघु–सिंचाई व उर्वरीकरण तकनीक ओर कम लागत वाले ग्रीनहाउस को उन क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जायेगा, जहां वर्ष में कई महीनों के दौरान वाष्पीकरण वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता हैं। ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान की जायेगी जिनमें जलाभाव वाले क्षेत्रों में आय बढ़ाने में मदद मिल सके।

8 विशेष क्षेत्र

8.1 कठिनाईग्रस्त क्षेत्र

देश के कुछ भागों में देखी गई कृषि संबंधी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जोखिम को कम किया जा सके और दीर्धकालिक कृषि पद्धतियों के लिए निविष्टियों को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में, ज्ञान संयोज्यता और सामाजिक सहायता प्रणालियों और विपणन संरचानाओं को मजबूत किया जाए। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यापक रूप से लाभान्वित करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

8.2 वृहद जैव–विविधता वाले क्षेत्र

पश्चिम और पूर्वी घाटों और पूर्वी हिमालयाई क्षेत्रों, अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों जैसे विद्यमान वृहद जैव–विविधता क्षेत्रों के संरक्षण कार्य में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित किया जाएगा इन समुदायों को प्रोत्साहन देकर उनके योगदान को उपयुक्त रूप से मान्यता दी जाएगी। ऐसे उपाय भी किए जाने चाहिए जिनसे वृहद जैव–विविधता वाले क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय जैव–संसाधनों को सतत ढंग से आर्थिक सम्पदा में बदलने में समर्थ हो सके।

9 भावी किसान

9.1 गैर–कृषि क्षेत्रक में कार्य अवसरों में धीमी वृद्धि के कारण छोटे और आर्थिक दृष्टि से अलाभकर जोतों में वृद्धि हुई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए छोटे फार्मों की उत्पादकता में वृद्धि करके तथा फसल–पशु एकीकृत खेती प्रणलियों के जरिए अनेक आजीविका के अवसर सृजित करके कृषि प्रसंस्करण को समर्थन प्रदान किया जायेगा। कृषक समुदायों द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक पैमानों की विधियों को पैदावार व आय बढ़ाने के लिए लोकप्रिय बनाना होगा। ऐसे समूह कार्यकलापों में भाग लेने के लिए

महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। नीचे कुछ विधियों का उल्लेख किया गया हैं जिन्हें छोटे और सीमान्त किसान कृषि कार्यो में कार्यकुशलता व मितव्ययता के लिए अपना सकते हैं:

1. **सहकारी खेती और सेवा सहकारी समितियाँ:** ये डेयरी उद्योग के मामले में सफल रही हैं। विपणन सहकारी समितिया सामान्यतः सफल रही हैं क्योकि इनके सदस्य स्वहित को देखते है इसीलिए सहयोग करते हैं। सेवा सहकारिताओं के अन्य रूप धीरे–धीरे उभर रहे हैं, किन्तु गति को तेज करना होगा। इसलिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन संबंधी कार्य करने के लिए लघु कृषक सहकारिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और इनके लिए सहायता दी जाएगी।
2. **स्वसहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा सामूहिक कृषि:** लघु ऋण की सहायता से महिलाओं द्वारा संचालित छोटे उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए एस.एच.जी. अत्यधिक सफल रहे हैं। प्रचालानत्मक जोतों के छोटे होते आकार को देखते हुए कृषि क्रियाकलापों को समेकित करने के लिए समूहों को प्रोत्साहित करके कृषि उपक्रम के उत्पादन स्तर पर एस.एच.जी. और वस्तु आधारित कृषक संगठनों को बढ़ावा देना लाभकारी होगा। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पौषक तत्व आपूर्ति, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और उन्नत फसल कटाई प्रौद्योगिकी वाले "हरित–कृषि" के मामले में यह विशेष रूप से सहायक होगा। किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी एस.एच.जी. को बढ़ावा दिया जाएगा।
3. **लघु जोत सम्पदाएं:** कपास, बागवानी, औषधीय पौधों, कुक्कुट व मत्स्यपालन में, लघु जोत सम्पदाओं के निर्माण से, वाटरशेड क्षेत्रों में अथवा सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में तथा गांव में रहने वाले किसानों के बीच सामूहिक सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्पादकता में सुधार, उत्पादन की लागत में कमी और कपड़ा मिलों के साथ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, औषधिनिर्माण कम्पनियों के साथ और मत्स्य विपणन एजेन्सियों के साथ विपणन संविदाएं निष्पादित करना कुछेक लाभ होंगे। ऐसी लघु कृषक सम्पदाएं "ब्राण्ड" नामों से उत्पादों का विनिर्माण भी कर सकती हैं और आय सुरक्षा में वृद्धि कर सकती हैं जिससे समूह बीमा व्यवहार्य बन सकता हैं। कृषि–क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों को ऐसी सम्पदाओं से सम्बद्ध किया जाएगा।
4. **संविदा कृषि:** कृषकों को आश्वस्त और लाभप्रद विपणन अवसरों के सुनिश्चयन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। परस्पर संविदाओं को जिनसे उत्पादकों और क्रेता दोनों को लाभ होगा, एक सुपरिभाषित आचरण संहिता के आधार पर संविदा कृषि से, छोटे उत्पादकों के उनके उत्पाद के लिए उत्तम कोटि के आदान मिलेंगे, उचित कीमत मिलेगी और तुरन्त अदायगी प्राप्त होगी। वस्तु विशिष्ट खेती की जरूरत को पूरा करने के लिए संविदा खेती आचार संहिता या एक माडल संविदा विकसित की जायेगी। संविदा खेती में किसान को किसी भी परिस्थिति में उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा। कृषक अनुकूल संविदा कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारें एक समीक्षा समिति बनाएं जिसमें किसानों को भी शामिल किया जाए।
5. **किसान कम्पनियां:** कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां अब बीज उत्पादन, जैव–उर्वरकों, जैव–कीटनाशकों के उत्पादन व अन्य प्रकार के खेती के लिए अनिवार्य जैविकीय साफ्टवेयर के उत्पादन के क्षेत्र में अस्तित्व में आ रही हैं। छोटे किसानों और एसएचजी को ऐसी कम्पनियों में पणधारियों के रूप में, शामिल किया जाएगा न कि मात्र शेयरधारकों के रूप में।

6. **राज्य फार्म:** इसके साथ ही, राज्य फार्मो का उपयोग, स्थानीय प्रजातियों के पशुओं, भेड़ व कुक्कुट के जर्मप्लाज्म के सजीव दाय जीन बैंकों का विकास करने के लिए किया जा सकता है जिससे कि हमारी पशु जैनेटिक सम्पदा परिरक्षित रह सके।

10 युवाओं को आकर्षित करना

10 युवाओं को आकर्षित करना

देश के अन्दर और देश से बाहर दोनों जगहों से आउटसोर्सिंग कार्यक्रम चलाने के लिए कृषि–क्लिनिकों और उत्पादन–सह–प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना हेतु शिक्षित युवाओं को सहायता एवं समर्थन प्रदान किया जायेगा। कृषि क्षेत्र की ओर युवाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलापों जिसमें मूल्यवर्धन और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण शामिल है, के विभिन्न पहलुओं में कई व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और उन्हें मान्यता प्रदान की जायेगी। केवीके, राज्य सरकारों के संस्थान/भा.कृ.अ.प. और सक्षम निजी संस्थान भी युवकों को ऐसे मान्यता प्राप्त व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एवं कृषक आय में वृद्धि करने के लिए मूल्यवर्धन हेतु स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए विभिन्न स्कीमों के जरिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान किया जायेगा।

11 अन्य नीतिगत उपाय

11.1 निम्नलिखित नीतिगत उपायों से किसानों के कल्याण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

1. विद्यमान राज्य भूमि उपयोग बोर्डो में सुधार किया जायेगा और उसे राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली जिला–स्तरीय भूमि उपयोग समितियों से सम्बद्ध किया जायेगा ताकि भू–उपयोग के संबंध में किसानों को बढ़िया व सक्रिय सलाह प्रदान कर सकें। इन्हें वर्चुअल संगठन बनना होगा ताकि उनके पास स्थान और मौसम विशिष्ट आधार पर भू–उपयोग निर्णयों को पारिस्थितिकीय, मौसमविज्ञानीय और विपणन कारकों के साथ सम्बद्ध करने की शक्ति हो।
2. पुष्पकृषि, जड़ीय और कन्दीय फसलों, सुगंध देने वाले एवं औषधीय पौधों, मधुमक्खी पालन तथा रेशम कीट पालन के विकास पर प्रमुख बल दिया जायेगा। इन उत्पादों को उचित मंडी सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि ऐसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा आय के अवसरों को बढ़ाया जा सके।
3. मंडी हस्तक्षेप स्कीम जारी रहेगी और इसे मजबूत बनाया जायेगा। तीव्र प्रसंस्करण के लिए और प्रतिबंध हटाने के उपयुक्त उपाय किए जायेंगे।
4. ग्रामीण गरीबी और कुपोषण को दूर करने के लिए घरेलू रूप से खाद्यान्न उगाने तथा एक सुपरिभाषित खाद्य सुरक्षा नीति बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने और इसकी नियमित रूप से मानिटरिंग करने के लिए सरकार एक खाद्य सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का गठन करेगी।
5. किसान परिवारों को एच आई वी/एड्स और तपेदिक (टी.बी.) का शिकार होने से भी बचाया जायेगा। रिट्रोवाइरल–रोधी दवाइयां गांवों में

मुफ्त दी जाएंगी। गांवों में एचआईवी/एड्स और टी.बी. जैसी गम्भीर बीमारियों से पीड़ित किसानों के उपचार संबंधी कार्यक्रम में मरीजों को खाद्य तथा पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा ताकि रोग से निजात पा सके और स्वस्थ जीवन जी सकें।

6. कृषक परिवारों के लिए एक ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार पहल की जरूरत है। इस पहल से सभी ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार कार्यक्रमों को एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि उनके बीच अभिसरण व तालमेल कायम किया जा सके। संबंधित विभिन्न एजेन्सियों को मिलाकर एक समग्र कार्यनीति अपनाई जाएगी।

7. उत्पादन वृद्धि दर के साथ–साथ आय वृद्धि दर का भी आकलन किया जाएगा और उसे प्रकाशित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में कार्यान्वित सभी स्कीमों को प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आय और आजीविका सुधार होगा।

8. संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों को कृषि तथा कृषि विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। यदि भारतीय किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को अलग–अलग श्रेणीबद्ध कर दिया जाए और उन पर ग्राम सभाओं तथा पंचायतों द्वारा विचार किया जाए तो स्थान–विशिष्ट समस्याओं पर शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सकती है। निचली स्तर पर विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार राज्य सरकारों को पंचायतों को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायतों को मजबूत बनाने के कदम उठाए जायेंगे।

9. जनसंचार साधन (परम्परागत, इलेक्ट्रानिक और इंटरनेट) हमारी प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। जन संचार साधनों को कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण से संबंधित मुद्दों के बारे में समय पर और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी प्रदान करके सहायता देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय मीडिया संसाधन केन्द्र स्थापित किए जायंगे जिसमें प्रसार कार्मिकों तथा किसानों, मीडिया प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों को सहयोजित किया जाएगा।

10. कृषि विकास के लिय आवश्यक ग्रामीण विद्युतीकरण सहित ग्रामीण अवसंरचना को उन्नत बनाने और ग्रामीण ऊर्जा हेतु समेकित दृष्टिकोण की जरूरत है। साथ ही नवीनीयोग्य ऊर्जा प्रणाली/उपकरण, जैव ईंधनों को भी मजबूत बनाया जाएगा।

12 नीति की प्रचालनात्मकता

12.1 विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुकूल राष्ट्रीय किसान नीति अपनाई जायेगी और उसे लागू किया जायेगा। कृषि जलवायुवीय और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक योजनाओं को तैयार करके राष्ट्रीय लक्ष्य को स्थानीय कार्यवाईयों में बदलने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जायेगी। ऐसी प्रचालनात्मक योजनाओं को बहुविषक व्यवसायिक समूह द्वारा जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा और राज्य स्तर पर समेकित किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीति के तहत किए गए उपाय किसानों की समस्याओं को दूर करने में सहायक है, किसानों से निरन्तर फीडबैक लेने के लिए एक

प्रभावकारी तंत्र विकसित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

12.2 कृषि एवं सहकारिता विभाग इस नीति के प्रचालनात्मकता के लिए कार्ययोजना पर सुझाव देने के लिए एक अंतः मंत्रालयी समिति का गठन करेगा। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित तंत्र विकसित किया जायेगा और दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

12.3 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कृषि समन्वयन समिति इस नीति के समेकित कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और समन्वयन स्थापित करेगी।

***